न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच.गौरी आर.ए.एस
अपील संख्या 57/2019 एल आर एक्ट (GCMS No 2019/ 00060)
अनवान राधेश्याम बनाम सरकार
अपील विरूद्व आदेश– जिला कलक्टर चूरू दिनांक 29.07.2019

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियन्स जज	नम्बर व तारीख अहकाल जो इस हुक्त की तामील में जारी हुऐ
19.09.2022	पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रस्तुत अपील जिला कलक्टर चूरू के द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.07.2019 जिसके द्वारा अपीलान्ट का स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया गया के विरूद्व भू प्रबंधक अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर, कैम्प चरू के समक्ष प्रस्तुत की गई। राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ ने राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रप–6) विभाग की जारी अधिसूचना नं. 1 (17) राजस्व–6/2019/112 दिनांक 17.10.2019 के परिपेक्ष में इस न्यायालय को हस्तान्तरित की गई। प्रस्तुत अपील में अपीलान्ट एवं उसके अभिभाषक इस न्यायालय में उपस्थित नही होने पर इस न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के निमित नोटिस जारी किये गये, उनके उपस्थित नही आने पर पत्रावली एवं रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रकरण में खसरा नं. 1064/348 तादादी 0.7937 हैक्टेयर भूमि मंदिर श्री रधुनाथ जी के अस्थाई ढाबा बनाकर अतिक्रमण करने से संबधित है। इसी खसरा नं. 1064/348 तादादी 0.7937 हैक्टेयर भूमि मंदिर श्री रधुनाथ जी की जिला कलक्टर चूरू द्वारा अपने निर्णय दिनांक 31.10.2019 को अपीलान्ट राधेश्याम की अपील खारिज करने पर अपीलान्ट द्वारा जिला कलक्टर चूरू के निर्णय दिनांक 31.10.2019 के विरूद्व इस न्यायालय में दिनाांक 25.11.2019 को अपील को प्रस्तुत की गई। इस न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 07.12.2021 को अपीलान्ट की अपील खारिज कर दी गई है। जब अपीलान्ट की मूल अपील ही खारिज हो चुकी है तो जिला कलक्टर चूरू द्वारा खारिज स्थगन प्रार्थना पत्र के विरूद्व अपील स्वतः प्रभावहीन एवं सारहीन हो चूकी है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब,तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया। अति.संभागीय आयुक्त बीकानेर	